



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक- 31/रेरा/2019/2114

रायपुर, दिनांक 13/09/2019

// परिपत्र //

विषय :- कमिश्नर द्वारा प्रोजेक्ट के स्थल जांच प्रतिवेदन हेतु शुल्क निर्धारण बाबत।


—00—

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित प्रोजेक्ट में कमिश्नर द्वारा प्रोजेक्ट की स्थल जांच प्रतिवेदन हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	जिला	शुल्क	रिमार्क
1.	रायपुर	5,000 / -	यदि जांच उपरांत कमिश्नर की फीस, निर्धारित शुल्क से अधिक होती है, तो शेष राशि पृथक से देय होगी।
2.	अन्य जिले	10,000 / -	

आवेदक शुल्क की राशि प्राधिकरण के खाता क्रमांक-5911887962, आई. एफ.एस. सी. कोड-KK BK0000132, कोटक महिन्द्रा बैंक, सिविल लाईन, रायपुर में जमा करेंगे तथा जमा की गई राशि की रसीद प्राधिकरण कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित शिकायत शाखा में वाचक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. अनुराग मिश्रा)
रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.